(संशोधित)

राजस्थान सरकार
वन विभाग

(5ए मोजपुरा पदमपुर रोड़ श्रीगंगानगर)

कार्यालय उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर

Email ID dcf.gan.forest@rajasthan.gov.in & dcf.raj.sgnr@gmail.com Phone & Fax No. 0154-2472339

क्रमांकः–एफ ( )सर्वे/उवसं/2022–23/1773 दिनांक :– 10/5/2023

निमित्त,

प्रधानाध्यापक
राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामपुरा न्यौला
सूरतगढ़।

विषय :– Diversion of 0.9830 Hector for construction of existing school established scince 1963 for extension government secondary school at village-Rampura Nyola, Tehsil- Suratgarh, District- Sri Ganganagar , Rajasthan.
Proposal No. FP/RJ/SCH/148169/2021

संदर्भ :– राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प.1(142)वन/2022 जयपुर दिनांक, इस कार्यालय के पत्रांक 7861 दिनांक 19.12.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में निम्न शर्तो की पालना प्रयोक्ता एजेन्सी से अपेक्षित की गई है। अतः राज्य सरकार की उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पतन सहित निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान करती है :–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. **प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर** निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो के पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृखो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षो के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि 103600/– रू. जरिये ई–चालान जमा करावें।

Scanned with OKEN Scanner

11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी)की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्रधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी। जिसके उपरांत ई–चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति जारी करने पर विचार किया जावेगा।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि 670140/– रू. प्रति हैक्टेयर से आवश्यक धन राशि 658748/– रू. जरिये ई–चालान जमा करावें।

12. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगं कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी की राशि की बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।

13. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

14. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त सभी शर्तो की पालना कर बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अविलम्ब भिजवावें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(एस. के. आबुसरिया) IFS
उप वन संरक्षक,
श्रीगंगानगर

क्रमांक :– सम/ दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।
3. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।

उप वन संरक्षक,
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner